अध्याय –II

निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन

2.1.1 परिचय

भारत सरकार द्वारा जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क तंत्र, शहरी परिवहन एवं शहर के पुराने क्षेत्रों के पुनर्विकास, उद्योगों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं को उनके अनुरूप क्षेत्रों में स्थानांतरित करने, सामुदायिक सहभागिता तथा नागरिकों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों की जबाबदेही से सम्बन्धित शहरी अवस्थापन परियोजनाओं में दक्षता को प्रमुखता देते हुये चिन्हित शहरों के योजनाबद्ध विकास हेतु राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) की शुरूआत की गयी (दिसम्बर 2005)। जे.एन. एन.यू.आर.एम. का यह भी उद्देश्य था कि भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आइ.एस.) एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आइ.एस.) हेतु ई–गवर्नेन्स, शहरी गरीब को आधारभूत सेवाए हेतु निधि को चिन्हित करना, आदि में सुधार किया जाए। शहरी स्थानीय निकायों एवं पैरा–स्टैटल एजेन्सियो जैसे– विकास प्राधिकरणों, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, परिवहन विभाग आदि को अपनी गतिविधियों से सम्बन्धित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) निदेशक, स्थानीय निकायों के माध्यम से राज्य सरकार को और फिर भारत सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु तैयार करने की आवश्यकता थी।

भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य स्तर पर अन्य सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक स्टेट लेवल स्टेरिंग केमटी का गठन किया गया था जो जे.एन.एन.यू.आर.एम. में सम्मिलित करने हेतु डी.पी.आर. की समीक्षा एवं प्राथमिकता का निर्धारण करता है। निदेशक, स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टैटल एजेन्सियों द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर. की जाँच एवं कार्यकारी परियोजनाओं के अनुश्रवण के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी (एस.एल.एन.ए.) के रूप में नामित किया गया था ।

2.1.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं प्रणाली

शहरी स्थानीय निकायों के वर्ष 2005–08 के अभिलेखों में सात[1] में से पांच शहरी स्थानीय निकायों –आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी जहाँ पर यह योजना कार्यान्वित थी एवं इन स्थानों पर उत्तर प्रदेश जल निगम (जे0एन0) इकाइयों की जांच की गयी थी तथा मई–जून 2008 की अवधि में एस.एल.एन.ए से सूचनाएँ संकलित की गयी थी।

2.1.3 निधि आवंटन प्रारूप

सात चिन्हित शहरों में से छः[2] शहरों में प्रत्येक परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं शहरी स्थानीय निकायों/ पैरा–स्टैटल एजेन्सियों द्वारा क्रमशः 20 और 30 प्रतिशत के अनुपात में दिया जाना था। सातवें के लिए यानि चिन्हित मथुरा शहर में भारत सरकार द्वारा दिया गया अंश 80 प्रतिशत तथा राज्य सरकार एवं शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टैटल एजेन्सी द्वारा 10–10 प्रतिशत का योगदान किया गया था।

2.1.4 निधियों की अवमुक्ति

भारत सरकार को राज्य सरकार एवं शहरी स्थानीय निकायों के साथ, परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उनकी प्रतिबद्धता दर्शाने वाले मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एम0ओ0ए0) हस्ताक्षर करने पर प्रथम किस्त के रूप में परियोजना लागत में अपने अंश का 25 प्रतिशत अवमुक्त करना था। केन्द्रीय अंश की प्राप्ति के बाद राज्य सरकार एवं शहरी स्थानीय निकायों को उनके अंश परियोजना खाता में जमा करना था। इस प्रकार परियोजना खाता में जमा धनराशि को एस0एल0एन0ए0 के द्वारा निर्दिष्ट शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त किया जाना था। अंततः शहरी स्थानीय निकायों को परियोजनाओं के निष्पादन हेतु कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध करानी थी। भारत सरकार पहली किस्त के 70 प्रतिशत तक की धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्रों की प्राप्ति एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में सुधार लागू करने की उपलब्धि की शर्तो के अधीन केन्द्रीय सहायता की अवशेष धनराशि तीन किश्तों में अवमुक्त करेगी।

---

[1] आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी एवं मथुरा
[2] आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी

2.1.5 वित्तीय परिव्यय

अक्टूबर 2007 से मार्च 2008 की अवधि में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं एवं एस. एल.एन.ए. द्वारा स्थानीय निकायों को अवमुक्त की गई धनराशियों तथा उनके सापेक्ष व्यय का विस्तृत विवरण निम्नवत हैः–

(रु0 करोड़ में)

मद	शहर	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं		केन्द्रांश अवमुक्ति की तिथि	एस.एल.एन.ए. के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त की गयी धनराशि		व्यय	मार्च 2008 तक का अवशेष
		अवधि	लागत		अवधि	लागत		
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस0डब्लू0एम0)	सात[3]	दिसम्बर 2006 से फरवरी 2008	241.60	जनवरी 2007 से मार्च 2008 तक	अक्टूबर 2007 से मार्च 2008	40.38	शून्य	40.38
जल आपूर्ति	छः[4]	जुलाई 2007 से फरवरी 2008	1221.98	अगस्त 2007 से मार्च 2008	फरवरी 2008 से मार्च 2008	160.28	42.62	117.66
सिवरेज	तीन[5]	सितम्बर 2007 से दिसम्बर 2007 तक	448.71	अक्टूबर 2007 से जनवरी 2008	मार्च 2008	60.90	8.31	52.59
योग	**16**		**1912.29**			**261.56**	**50.93**	**210.63**

भारत सरकार, राज्य सरकार एवं शहरी स्थानीय निकायों ने कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत की पहली किस्त के रूप में रू 468.90 करोड़ (भारत सरकार : रू 232.25 करोड़, राज्य सरकारः रू 92.35 करोड़ एवं शहरी स्थानीय निकायः रू 144.30 करोड़) एस.एल.एन. ए. को दिया (जनवरी 2007 से मार्च 2008)। तथापि एस.एल.एन.ए. ने मार्च 2008 तक सम्बद्ध शहरी स्थानीय निकायों को मात्र रू 261.56 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की थी। सारणी से यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु अक्टूबर 2007 से मार्च 2008 के मध्य धनराशि अवमुक्त की गई थी, फिर भी मार्च 2008 तक कोई व्यय नहीं किया गया था। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अंतर्गत व्यय न किया जाना एवं अन्य दो संघटकों में कमी के विस्तृत कारणों को उत्तरवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है।

[3] आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी एवं मथुरा
[4] आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी
[5] आगरा, कानपुर एवं लखनऊ

2.1.6 नियोजन

शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टैटल एजेन्सियों को 9 संघटकों से सम्बन्धित आधारभूत अवस्थापन आवश्यकताओं के आधार पर किए गए सर्वेक्षण के बाद डी.पी.आर. तैयार करने की आवश्यकता थी। तद्नुसार उन्होंने 32 परियोजनाओं से सम्बन्धित डी.पी. आर. तैयार किया तथा राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को प्रस्तुत किया (दिसम्बर 2006 से नवम्बर 2007) जैसे कि निम्नवत हैः–

क्रम सं0	संघटकों के नाम	नगर निगम द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत की गयी परियोजनाओं की संख्या							
		आगरा	इलाहाबाद	कानपुर	वाराणसी	मेरठ	लखनऊ	मथुरा	योग
1	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1	1	1	1	1	3	–	8
2	सिवरेज एवं ठोस अवशिष्ट प्रबंधन	2	2	2	1	2	5	1	15
3	ड्रेनेज	1	–	1	1	–	3	–	6
4	शहरी परिवहन प्रणाली	–	–	1	–	–	–	–	1
5	शहर के आन्तरिक क्षेत्रों का पुर्न–विकास	–	–	1	–	–	–	–	1
6	पार्किंग स्थान	–	–	–	–	–	–	–	–
7	हेरिटेज एरिया का विकास	–	–	1	–	–	–	–	1
8	मृदा क्षरण आदि का रोक एवं पुनः स्थापन	–	–	–	–	–	–	–	–
9	जलीय जन्तुओं का संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–
योग		**4**	**3**	**7**	**3**	**3**	**11**	**1**	**32**

भारत सरकार द्वारा रू 1,912.29 करोड़ की लागत से सिवरेज एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (10 परियोजनाएं) तथा जल आपूर्ति (6 परियोजनाएं) से सम्बन्धित 16 परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए अनुमोदित किया गया (दिसम्बर 2006 से फरवरी 2008) एवं 25 प्रतिशत की पहली किस्त के रूप में रू 232.25 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई (जनवरी 2007 से मार्च 2008)। भारत सरकार द्वारा शेष 16 डी.पी.आर. अनुमोदित नहीं हुई

क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत किया गया विभिन्न संघटकों के परियोजनाओं को एकाधिक चरण में आरम्भ होना था जबकि भारत सरकार की वांछना थी कि एक संघटक के लिए मात्र एक समेकित परियोजना तैयार और प्रस्तुत की जाये। ड्रेनेज परियोजनाएं सम्बन्धित शहरों के वर्षा आँकड़ों के अभाव में लौटा दी गई थीं। ये परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को संशोधन हेतु लौटा दी गयी थी (फरवरी 2007 से नवम्बर 2007) एवं जून 2008 तक शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टैटल एजेन्सियों द्वारा पिछले 7 से 16 महीनों से संशोधित की जा रही थी।

इन शहरी स्थानीय निकायों ने क्रम सं0–04 से 9 में स्थित संघटकों से संबंधित कोई परियोजना का प्रारूप तैयार नहीं किया था, सिवाय नगर निगम कानपुर के, जिसने शहरी परिवहन प्रणाली, शहर के आंतरिक क्षेत्रों का पुनर्विकास एवं हेरिटेज एरिया के लिए तीन परियोजनाएं तैयार की थी। यह इस ओर इंगित करता है कि शहरी स्थानीय निकायों/पैरा–स्टैटल एजेन्सिया डी.पी.आर. तैयार करने एवं उन्हें अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने में मंद थी।

2.1.6.1 उचित सर्वेक्षण के बिना डी0पी0आर0 तैयार करना

भारत सरकार द्वारा नगर निगम, लखनऊ के लिए रू 388.61 करोड़ की लागत से जल आपूर्ति परियोजना की स्वीकृति दी गई (सितम्बर 2007)। इस परियोजना में कुर्मान्चल नगर लिबर्टी कालोनी में बिटुमिनस सड़कों के नीचे जल आपूर्ति पाइप लाइन बिछाना भी सम्मिलित था। डी.पी.आर. में 5563.47 वर्गमी0[6] की बिटुमिनस सड़क के पुनर्स्थापन हेतु रू 58 लाख का प्रावधान था। नमूना जांच (मई 2008) के समय यह देखा गया कि उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा नगर निगम लखनऊ को बिटुमिनस सड़कों के पुर्नस्थापन हेतु रू 16.37 लाख तथा 648 वर्गमी[7] की नानॅ–बिटुमिनस सड़कों के पुनर्स्थापन हेतु रू 4 लाख का भुगतान किया गया (मार्च 2008)। इंगित करने पर, जल निगम द्वारा बताया गया (मई 2008) कि खड़न्जा सड़कों के नीचे जहाँ भी सम्भव था, पाइप लाइन बिछाये जाने के कारण धनराशि का विचलन हुआ एवं तद्नुसार नगर निगम को भुगतान किया गया था।

अतः बिना उचित सर्वेक्षण के डी पी आर तैयार करने का यह प्रमाण था।

---

[6] वितरण प्रणाली (3977.47 m^2) एवं राइसिंग मेन (1586.00 m^2)

[7] इंटरलॉकिंग (180 वर्ग मी. @ रू 915 प्रति वर्ग मी.) एवं खरंजा (468 वर्ग मी. @ रू 450 प्रति वर्ग मी.)

2.1.7 भौतिक उपलब्धि

2.1.7.1 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाएं

भारत सरकार ने नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में रू 209.09 करोड़ की लागत से पांच ठोस अपशिष्ट प्रबधन परियोयजनाएं स्वीकृत (मार्च 2007– फरवरी 2008) किए जैसा कि निम्नवत हैः–

(रु0 करोड़ में)

शहर का नाम	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं		केन्द्रीय अंश के अवमुक्त की अवधि	मार्च 2008 तक एस.एल.एन.ए. के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त की गयी धनराशि		किया गया व्यय	31 मार्च 2008 तक का अवशेष
	अवधि	लागत		अवधि	लागत		
लखनऊ	मार्च 2007	42.92	मार्च 2007 से अगस्त 2007	नवम्बर 2007	10.73	शून्य	10.73
आगरा	मार्च 2007	30.84	मार्च 2007 से अगस्त 2007	अक्टूबर 2007 से जनवरी 2008	7.46	शून्य	7.46
कानपुर	मार्च 2007	56.24	मार्च 2007 से अगस्त 2007	जनवरी 2008	14.06	शून्य	14.06
वाराणसी	अक्टूबर 2007	48.68	दिसम्बर 2007	–	–	–	–
इलाहाबाद	फरवरी 2008	30.41	मार्च 2008	–	–	–	–
योग		**209.09**			**32.25**	**शून्य**	**32.25**

ये परियोजनाए घर–घर से ठोस अपशिष्ट संकलित करने, उसे अलग करने तथा अवशेष अपशिष्ट शोधन एवं निस्तारण बिन्दु तक परिवहन करने से सम्बन्धित थी तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृति तिथि से 12 माह के भीतर इन्हें पूरा करना था। राज्य सरकार ने तथापि अपना अंश एक से नौ माह विलम्ब से अवमुक्त किया। एस.एल.एन. ने शहरी स्थानीय निकायों को अग्रेत्तर विलम्ब से धनराशि अवमुक्त किया (अक्टूबर 2007 से अप्रैल 2008)। एस.एल.एन.ए. द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को धनराशि अवमुक्त करने में कुल विलम्ब भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त करने की तिथि से दो से ग्यारह माह के मध्य रहा।

राज्य सरकार ने 5 शहरों[8] के संदर्भ में भी कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम का नामांकन (दिसम्बर, 2007) भी भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन तिथि से 12 माह विलम्ब से किया।

भारत सरकार, राज्य सरकार एवं सम्बद्ध शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मार्च 2007 से मार्च 2008 की अवधि में एस.एल.एन.ए. को रू 49.74 करोड़ (परियोजना लागत का 25%) के अपने अंश दिए सिवाय नगर निगम इलाहाबाद जिसने रू 2.28 करोड़ का अपना अंश अवमुक्त नहीं किया था एवं नगर निगम आगरा ने मार्च 2008 तक अपने अंश में रू 0.25 करोड़ कम दिये। एस.एल.एन.ए. ने अपनी बारी में अक्टूबर 2007 से जनवरी 2008 के दौरान 3 शहरी स्थानीय निकायों[9] को मात्र रू 32.25 करोड़ स्थानांतरित किये। नगर निगम वाराणसी को कोई धनराशि स्थानांतरित नहीं की गई थी। नगर निगम इलाहाबाद को धनराशि प्राप्त नही हुई थी क्योंकि उसके द्वारा मार्च 2008 तक परियोजना हेतु कोई योगदान नहीं दिया गया था। शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमनूा जांच में पाया गया कि इन इकाईयों द्वारा मार्च 2008 तक निम्नलिखित कारणों से व्यय नहीं किया गया था।

(i) निस्तारण एवं शोधन हेतु कार्यदायी संस्थाओं को भूमि भरण क्षेत्र उपलब्ध कराया जाना था किन्तु नगर निगम, लखनऊ एवं कानपुर ने जल निगम को कोई भूमि भरण क्षेत्र उपलब्ध नहीं कराया था।

(ii) जल निगम ने आगरा में अनुरक्षण खण्ड, जल निगम को प्रारम्भिक रूप से कार्य आबंटित किया (जनवरी 2008)। तद्नुसार नगर निगम, आगरा ने कार्य सम्पादन हेतु उस खण्ड को रू 7.19 करोड़ स्थानांतरित किये। इसी बीच जल निगम ने निर्णय लिया (मई 2008) कि आगरा सहित सभी पांच शहरों में कार्य निर्माण एवं अभिकल्प सेवाएँ (सी.एण्ड डी.एस.) द्वारा निष्पादित किया जाएगा तथा अनुरक्षण खण्ड से सी. एण्ड डी.एस. इकाई को कार्य स्थानांतरित करने का आदेश दिया। हालांकि अनुरक्षण विभाग ने जून 2008 तक सी.एण्ड डी.एस. को धनराशि स्थानांतरित नही की थी, परिणास्वरूप, सी एण्ड डी एस इकाई द्वारा जून 2008 तक परियोजना कार्य प्रारम्भ नही किया जा सका। इसके अतिरिक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा जल निगम को भूमि भरण क्षेत्र उपलब्ध कराई गयी थी किन्तु भूमि का स्वामित्व विवादास्पद था।

---

[8] आगरा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ एवं मथुरा

[9] लखनऊ, आगरा एवं कानपुर

अतः ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं पांच नमूना जांच शहरों में से किसी में भी प्रारम्भ नही हो सकी थी क्योंकि (i) राज्य सरकार/ एस.एल.एन.ए. द्वारा धनराशि के अवमुक्त में विलम्ब (ii) राज्य सरकार द्वारा कार्यदायी संस्था के चयन में विलम्ब एवं (iii) भूमि की अनुपलब्धता इसके कारण थे।

2.1.7.2 जल आपूर्ति

भारत सरकार द्वारा जीर्ण–शीर्ण हुए पानी की पाइपों को नए/उच्च क्षमता वाले पाइपों से प्रतिस्थापित करने हेतु नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में रू 942.98 करोड़ की लागत से पांच जल आपूर्ति परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया (जुलाई 2007 से फरवरी 2008)। की गयी शहरी स्थानीय निकायों की नमूना जांच में परियोजनाओं की वित्तीय प्रगति निम्नवत थी–

(रु0 करोड़ में)

शहर का नाम	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं		केन्द्रीय अंश के अवमुक्त की तिथि	मार्च 2008 तक एस.एल.एन.ए. के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त की गयी धनराशि		व्यय	31 मार्च 2008 तक का अवशेष
	अवधि	लागत		अवधि	धनराशि		
इलाहाबाद	जुलाई 2007	89.69	अगस्त 2007	फरवरी 2008	22.42	7.57	14.85
वाराणसी	अगस्त 2007	111.02	अगस्त 2007	फरवरी 2008	27.76	10.31	17.45
लखनऊ	सितम्बर 2007	388.61	अक्टूबर 2007	मार्च 2008	70.80	20.15	50.65
कानपुर	अक्टूबर 2007	270.95	दिसम्बर 2007	मार्च 2008	39.30	2.50	36.80
आगरा	फरवरी 2008	82.71	मार्च 2008		0.00	0.00	0.00
योग		**942.98**			**160.28**	**40.53**	**119.75**

भारत सरकार (रू 111.10 करोड़) राज्य सरकार (रू 44.44 करोड़) एवं सम्बद्ध शहरी स्थानीय निकायों (रू 90.45 करोड़) द्वारा अगस्त 2007 से मार्च 2008 तक अपने अंशों का रू 245.99 करोड़ का योगदान एस.एल.एन.ए. को दिया गया। तथापि एस.एल.एन.ए. ने शहरी स्थानीय निकायों को योगदान के सापेक्ष रू 160.28 करोड की धनराशि चार से सात माह विलम्ब से अवमुक्त (फरवरी–मार्च 2008) किए एवं रू 85.71 करोड़ का अवशेष धनराशि 31 मार्च, 2008 तक अवरूद्ध रखा था। नगर निगम आगरा को 31 मार्च 2008

तक कोई धनराशि अवमुक्त नही की गई थी। शहरी स्थानीय निकायों ने रू 160.28 करोड़ की धनराशि में से रू 117.76 करोड़ परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जल निगम को मार्च 2008 तक अवमुक्त किए।

अग्रेतर नमूना जांच की गयी शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों से पता चलता है किः–

(1) नगर निगम कानपुर ने परियोजना के निष्पादन हेतु जल निगम को रू 30 करोड़ अवमुक्त किए (मार्च 2008)। इकाई ने परियोजना के निष्पादन के बजाय रू 23 करोड़ मियादी जमा में निवेश (मार्च 2008) किया तथा इस पर अर्जित किया गया रू 0.51 लाख का ब्याज लखनऊ स्थित मुख्यालय में स्थापना व्ययो को पूरा करने हेतु प्रेषित किया (अप्रैल 2008)। नगर निगम की मांग के आधार पर जल निगम को सड़क पुर्नस्थापना हेतु नगर निगम को शुल्क का भुगतान करना था किन्तु जल निगम द्वारा नगर निगम, कानपुर को रू 2.50 करोड़ (मार्च 2008) का भुगतान बिना किसी मांग के किया गया एवं उस धनराशि को उपयोगित समझा गया था।

2.1.7.3 सीवरेज परियोजनाएं

नमूना जांच की गयी शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत परियोजनाओं की वित्तीय प्रगति निम्नवत थीः–

(रू करोड़ में)

शहर का नाम	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं		केन्द्रीय अंश के अवमुक्ति का माह	मार्च 2008 तक एस.एल.एन.ए. के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त की गयी धनराशि		व्यय	31 मार्च 2008 तक का अवशेष
	माह	लागत		माह	धनराशि		
लखनऊ	सितम्बर 2007	236.23	अक्टूबर 2007	मार्च 2008	43.04	11.00	32.04
कानपुर	दिसम्बर 2007	190.88	जनवरी 2008	मार्च 2008	13.92	4.50	9.42
आगरा	अक्टूबर 2007	21.60	दिसम्बर 2007	मार्च 2008	3.94	0.80	3.14
योग		**448.71**			**60.90**	**16.30**	**44.60**

भारत सरकार (रू 56.09 करोड़), राज्य सरकार (रू 22.43 करोड़) एवं सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकायों (रू 18.26 करोड़) द्वारा अक्टूबर 2007 से मार्च 2008 तक अपने अंश का

रू 96.78 करोड़ एस.एल.एन.ए. को दिया गया । तथापि एस.एल.एन.ए. ने शहरी स्थानीय निकायों को मार्च 2008 में रू 60.90 करोड़ अवमुक्त किए एवं रू 35.88 करोड़ की अवशेष धनराशि 31 मार्च 2008 तक अवरूद्ध रखा था । नगर निगम लखनऊ (रू 4.81 करोड़), कानपुर (रू 10.15 करोड़) एवं आगरा (रू 0.44 करोड़) द्वारा रू 15.40 करोड़ कम धनराशि का योगदान किया गया था।

रू 60.90 करोड़ की उपलब्ध धनराशि में से शहरी स्थानीय निकायों ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मार्च 2008 तक रू 31.00 करोड जल निगम को अवमुक्त किए । तथापि जल निगम ने मार्च 2008 तक मात्र रू 16.30 करोड़ व्यय किए।

2.1.8 सुधारों का क्रियान्वयन न होना

शहरी शासन में सुधार को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत राज्य सरकार एवं शहरी स्थानीय निकायों को भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों की द्वितीय एवं उत्तरवर्ती किस्तों की प्राप्ति के लिए एक निश्चित समय सीमा में नीचे दिये गये 13 अनिवार्य सुधारों एवं 10 वैकल्पिक सुधारों (परिशिष्ट –3) को लागू करने की आवश्यकता थी।

क्रमांक	सुधार का नाम	सुधार का स्तर
1	74 वें संविधान संशोधन अधिनियम में निहित विकेन्द्रीकरण उपायों का क्रियान्वयन	राज्य स्तर पर
2	शहर नियोजन का स्थानान्तरण–जल आपूर्ति एवं स्वच्छता तथा जन परिवहन क्रियाकलाप	
3	किराया नियंत्रण में सुधार	
4	स्टाम्प शुल्क का युक्तीकरण	
5	शहरी भूमि के सीलिंग एवं विनियमन अधिनियम को रद्द करना।	
6	नागरिक सहभागिता को संस्थागत बनाने हेतु सामुदायिक सहभागिता का अधिनियमन।	
7	सभी स्टेक होल्डरों को सूचना देने के लिए जन प्रकटन विधि का अधिनियमन	
8	लेखाकरण के प्रोद्भवन आधारित दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में बदलना	शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर
9	सम्पत्ति कर का सुधार	
10	जल आपूर्ति एवं ठोस अपशिष्ट की लागत का सौ प्रतिशत वसूली	
11	शहरी गरीबों को सेवाओं को प्रदान करने हेतु धनराशियों का आंतरिक चिन्हीकरण।	
12	शहरी गरीब को अधारभूत सेवाओं का प्रावधान	
13	अनुश्रवण हेतु ई–गवर्नेंस की व्यवस्था	

उपरोक्त में से राज्य सरकार[10] एवं सम्बद्ध शहरी स्थानीय निकायों[11] को मार्च 2008 तक तीन–तीन सुधार कार्यक्रमों को लागू करना था। इसके अतिरिक्त दोनो को मार्च 2008 तक दो वैकल्पिक सुधारों[12] को लागू करना था । तथापि राज्य सरकार द्वारा मार्च 2008 तक कोई सुधार कार्यक्रम लागू नहीं किया गया था एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मई 2008 तक मात्र एक सुधार जिसका नाम शहरी गरीबों को सेवाओं हेतु धनराशियों का आंतरिक चिन्हिकरण ही लागू किया गया था।

राज्य सरकार के साथ–साथ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सुधार कार्यक्रम लागू न करने के कारण भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान की अगली किस्त अवमुक्त नहीं की गयी जैसा कि मेमोंरडम ऑफ एग्रीमेन्ट में निहित था, जिसमें पहले से ही शुरू हुई परियोजनाओं का क्रियान्वयन बाधित हुआ। अग्रेत्तर सुधार कार्यक्रम न लागू होने के कारण शहरी शासन में सुधार करने का उद्देश्य अपूर्ण रहा।

2.1.9. अनुश्रवण

राज्य स्तर पर एस.एल.एन.ए. को राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को प्रस्तुत करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टैटल एजेन्सियों द्वारा तैयार डी.पी.आर. की प्रगति, अनुमोदित परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं सुधारों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना था। यद्यपि शहरी स्थानीय निकायों तथा पैरास्टेटल एजेन्सियों को भारत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु सभी नौ संघटकों पर डी.पी.आर. तैयार करने की आवश्यकता थी परन्तु जून 2008 तक शहरों के विकास को चिन्हित करने के लिए उन्होने 9 संघटकों में से 7 से संबंधित केवल 32 परियोजनाएं प्रस्तुत किए। इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा छः संघटकों जैसे : (1) शहरी परिवहन तत्रं, (2) आंतरिक शहर क्षेत्र का पुनर्विकास (3) पार्किंग स्पेस, (4) हेरीटेज एरिया का विकास (5) मृदा अपरदन रोक थाम एवं पुनर्वास एवं (6) जलीय जंतुओं के संरक्षण से सम्बन्धित कोई परियोजना तैयार नही की गयी थी, सिवाय नगर निगम कानपुर के जिसने 3 परियोजनाएं (प्रत्येक के लिए एक) (1) शहरी परिवहन तंत्र, (2) आंतरिक शहर क्षेत्र का पुनर्विकास एवं

---

[10] (i) नागरिक सहभागिता संस्थागत बनाने हेतु सामुदायिक सहभागिता अधिनियम लागू करना (ii) संविधान के 74 वें संशोधित अधिनियम के अनुसार विकेन्द्रीयकरण उपायों का क्रियान्वयन (iii) सभी स्टेक होल्डरों को सूचना देने के लिए जन प्रकटन का अधिनियमन ।

[11] (i) अनुश्रवण हेतु ई – गवर्नेंस की स्थापना (ii) शहरी गरीब की सेवाओं हेतु धनराशियों को आंतरिक चिन्हीकरण (iii) लेखांकन को प्रोदभूत आधार पर दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में स्थानांतरित करना।

[12] (i) ढाचागत सुधार एवं (ii) सार्वजनिक– निजी सहभागिता को प्रोत्साहन।

(3) हेरीटेज एरिया तैयार की थी। यह संकेतित करता है कि शहरी स्थानीय निकाय/पैरा–स्टैटल एजेन्सियॉ शहरी क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए सभी संघटकों को आच्छादित कर डी.पी.आर. की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण में मंद थी। तथापि एस.एल.एन.ए. ने इन एजेन्सियों द्वारा डी.पी.आर. की तैयारी की गति को बढ़ाने हेतु प्रभावी कार्यवाही नही की गई। यहॉ तक कि जहॉ भारत सरकार द्वारा डी.पी.आर. लौटा दी गई थी एवं संशोधन हेतु सुझाव देने के लगभग 7 से 16 माह बाद भी इन एजेन्सियों द्वारा संशोधित एवं प्रस्तुत नहीं की गयी थी।

2.1.10. निष्कर्ष

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना 2005–12 की अवधि हेतु वर्ष 2005 में शुरू की गई थी। तथापि, यह योजना कार्यान्वयन स्तर तक नही पहुॅच सकी थी क्योंकि शहरों के समेकित विकास के लिए योजना के सभी संघटकों को आच्छादित नही किया गया था। डी.पी.आर. की तैयार एवं प्रस्तुतिकरण/पुनर्प्रस्तुतीकरण में विलम्ब तथा दो वर्ष छः माह व्यतीत होने के बाद भी अप्रभावी अनुश्रवण से योजना में निहित सुविधाओं से शहरी स्थानीय निकाय वंचित रहे। राज्य सरकार एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निश्चित समय सीमा में सुधार कार्यक्रम लागू नही किया गया था जिससे द्वितीय एवं उत्तरवर्ती किस्तों को पाने से वे वंचित हो गए।

2.1.11. संस्तुतियॉ

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि –

- शहरों के समेकित विकास के लिए सभी संघटकों हेतु परियोजनाएं लागू की जानी चाहिये।
- शहरी स्थानीय निकायों को समय पर भारत सरकार को डी.पी.आर. प्रस्तुत/पुर्नप्रस्तुत करना चाहिये।
- कार्यदायी संस्था तक बिना विलम्ब किए निधियॉ पहुॅचायी जाए।
- राज्य सरकार एवं शहरी स्थानीय निकायों को निर्धारित समय में प्रतिबद्ध सुधारों को लागू करने चाहिये।
- परियोजनाओं का प्रत्येक स्तर पर तैयारी एवं निष्पादन के लिए प्रभावकारी अनुश्रवण प्रणाली विकसित की जाए।

2.2 बारहवाँ वित्त आयोग अनुदान–शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपभोग

2.2.1. परिचय

बारहवॉ वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) वर्ष 2005–10 की अवधि के लिए अन्य बातों के साथ–साथ राज्य में शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) के संसाधनों के अनुपूरण के लिए राज्य की समेकित निधि में संवर्धन के उपायों की आवश्यकताओं की सिफारिशें के लिए नियुक्त किया गया था (नवम्बर 2002)।

टी.एफ.सी. ने वर्ष 2005–10 की अवधि कों आच्छादित करते हुए अपनी रिपोर्ट दिनांक 30 नवम्बर 2004 को प्रस्तुत किया एवं शहरी स्थानीय निकायों हेतु भारत सरकार से रू 5000 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने की सिफारिश की। उपरोक्त धनराशि में से उत्तर प्रदेश को रू 517 करोड़ (10.34 प्रतिशत) आवंटित किया गया था जिसे दस बराबर किश्तों में अवमुक्त किया जाना था। इस धनराशि का व्यय शहरों/कस्बों में आधारभूत नागरिक सुविधाओं के सुधार हेतु किया जाना था।

वर्ष 2005–08 की अवधि के लिए टी.एफ.सी. के अनुदानों के अवमुक्त करने एवं उसके उपभोग से सम्बंधित अभिलेखों की कार्यालय निदेशक, स्थानीय निकाय लखनऊ, 12 निगमों में से 3 नगर निगमों, 194 नगरपालिका परिषदों में से 38 नगर पालिका परिषदों एवं 421 नगर पंचायतों में से 49 नगर पंचायतों की मार्च 2008 से जून 2008 तक नमूना जॉच की गयी थी। **(परिशिष्ट–4)**

2.2.2. वित्तीय प्रबंधन

अनुदानों की वर्षवार प्राप्ति एवं उनके उपभोग निम्नवत दिये गये है :–

वर्ष	यू एल बी को प्राप्त अनुदान एवं अवमुक्ति	व्यय (अवमुक्ति का प्रतिशत)
2005–06	103.40	* *
2006–07	103.40	57.34 (55)
2007–08	103.40	24.12 (23)

* * निदेशक, स्थानीय निकायों द्वारा सूचना प्रदत्त नही की गयी।

सारणी से यह देखा गया कि वर्ष 2006–08 की अवधि में शहरी स्थानीय निकायों ने मार्च 2008 तक प्राप्त अनुदानों में से मात्र 23 से 55 प्रतिशत तक ही व्यय किया था।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना था कि भारत सरकार से अनुदान प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर शहरी स्थानीय निकायों के खाते में अनुदान जमा किए जाये विफल रहने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस समय प्रचलित ब्याज दर से बिलम्ब अवधि के लिए ब्याज भी देना था। निदेशक, स्थानीय निकायों के कार्यालय के अभिलेखों की जॉच से परिलक्षित होता है कि भारत सरकार से दिनांक 28 नवम्बर, 2005 को प्राप्त रु0 51.70 करोड़ (प्रथम किस्त 2005–06) के अनुदानों के हस्तान्तरण हेतु राज्य सरकार ने निदेशक स्थानीय निकाय को 12 जनवरी 2006 अर्थात बिलम्ब के 31 दिनों बाद निर्देश जारी किया। निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा 15 दिनों के बिलम्ब के बाद 27 जनवरी 2006 को अनुदान के हस्तान्तरण का आदेश दिया गया । अतः भारत सरकार से अनुदानों की प्राप्ति की तिथि से शहरी स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने में कुल 46 दिनों का बिलम्ब हुआ। राज्य सरकार द्वारा बिलम्ब के लिए रु0 26.35 लाख के ब्याज का भुगतान किया गया परन्तु निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा बिलम्ब के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा बिलम्ब के लिए निदेशक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अग्रेतर, यद्यपि राज्य–सरकार ने वर्ष 2006–08 में 15 दिनों के भीतर अनुदानों के अवमुक्तन हेतु आदेश निर्गत किया किन्तु 90 शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों के नमूना जॉच से संज्ञान में आया कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कोषागार में बिल प्रस्तुतीकरण में बिलम्ब के कारण उनके खाते में धनराशि वास्तव में 2 से 191 दिनों के विलम्ब से जमा की गई।

यह इस ओर इंगित करता है कि राज्य स्तर पर उचित अनुश्रवण न तो राज्य सरकार द्वारा और न ही निदेशक, स्थानीय निकाय एवं शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर किया गया जिससे कि शहरी स्थानीय निकायों के खाते में धनराशि वास्तविक रुप में 15 दिनों के अंदर जमा की गयी थी जैसा कि टी0एफ0सी0 द्वारा वांछित था।

2.2.2.1 निधियों का व्ययवर्तन

''जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन'' (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) तथा ''छोटे एवं मझोले शहरों के लिए शहरी अवस्थापन विकास योजना'' (यू0आई0डी0एस0एस0एम0आई0टी0) हेतु जारी दिशा निर्देशानुसार इन योजनाओं के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान उनके अपने संशाधनों में से अपने अंश के भुगतान के बाद दिए जाने थे।

नमूना जॉच में पाया गया कि अक्टूबर 2006 एवं दिसम्बर 2007 के मध्य टी0एफ0सी0 द्वारा दिए गये अनुदानों में से रु0 8.16 करोड़[13] नगर निगम लखनऊ एवं कानपुर द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 में एवं नगर पालिका परिषद मिर्जापुर एवं शाहजहॉपुर, द्वारा यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 में व्ययावर्तित किए गए। योजना कार्यान्वयन स्तर तक नहीं पहुॅच सकी थी (जून 2008)।

2.2.2.2 उपयोग प्रमाण पत्र (यू0सी0)

टी0एफ0सी0 की अनुशंसा के प्रस्तर 14.11 के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को निदेशक, स्थानीय निकायों/राज्य सरकार को अवमुक्त अनुदानों के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्र (यू0सी0) देना था एवं राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रस्तुत करना था। तथापि, नमूना जॉच किए गए 90 शहरी स्थानीय निकायों में से न तो किसी ने निदेशालय/राज्य सरकार को यू0सी0 प्रेषित किया एवं न ही राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि प्रेषित की गयी। भारत सरकार ने राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त की गयी निधि के प्रतिवेदन के आधार पर निधि अवमुक्त किया।

2.2.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस0डब्ल्यू0एम0)

(i) भारत सरकार द्वारा दिए गए रु0 310.20 करोड़ के अनुदानों में से, राज्य सरकार ने टी0एफ0सी0 की अनुशंसानुसार रु0 155.10 करोड़ (50 प्रतिशत) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु चिन्हित किया। अवशेष 50 प्रतिशत सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइटों, जलापूर्ति, ट्रैफिक लाइटों, शवदाहगृह जैसे नागरिक सुविधाओं तथा खातों को कम्प्यूटरीकृत करने, आदि पर व्यय किया जाना था। तथापि, 25 शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2005–08 की अवधि में इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु चिहिनत रु0 40.44 करोड़ में से रु0 22.18 करोड़ (55 प्रतिशत) एस0डब्ल्यू0एम0 द्वारा व्यय किया गया तथा रु0 18.26 करोड़ उनके पास अप्रयुक्त पड़ी थी।

(ii) टी0एफ0सी0 की अनुशंसानुसार 1,00,000 से अधिक जनसंख्या[14] वाले म्यूनिसिपलों को सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट (एम0एस0डब्ल्यू0) के

[13] नगर निगम, लखनऊ : 3.22 करोड़, नगर निगम : कानपुरः 4.22 करोड़, नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर : 0.48 करोड़, नगर पालिका परिषद, शाहजहांपुर : 0.24 करोड़

[14] जनगणना 2001 के अनुसार

एकत्रीकरण, पृथक्करण एवं परिवहनों पर बृहत योजना बनाना था। इस योजना हेतु अनुदानों का कम–से–कम 50 प्रतिशत धनराशि चिहिनत की जानी थी। म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संभालना), नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट के एकत्रीकरण, संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, प्रक्रमण तथा निस्तारण हेतु अवसंरचना भी विकसित करने की आवश्यकता थी।

तथापि शहरी स्थानीय निकायों के नमूना जॉच में पाया गया कि एम0एस0डब्ल्यू0 के प्रबंधन हेतु कोई बृहत् योजना तैयार नहीं की गई थी। खुले वाहन द्वारा अपशिष्टों का वहन किया जा रहा था जिसके कारण एकत्रित एवं संग्रहीत अपशिष्ट के बिखरे रहने को बढ़ावा मिल रहा था। अपशिष्ट प्रक्रमण सुविधा अस्तित्व में नहीं थी लैण्डफिल्स की स्थापना नहीं हुई थी। अतः दूषित भौम जल एवं पर्यावरण प्रदूषण से इंकार नहीं किया जा सकता था।

नगर निगम वाराणसी के संदर्भ में इस पतान को इंगित करने वाले फोटो निम्नवत है–

नगर निगम वाराणसी में नदी के तट पर अपशिष्ट का ढेर स्थित है।

उपरोक्त यह इंगित करता है कि एम0एस0डब्ल्यू0 के प्रबंधन हेतु उचित ध्यान नहीं दिया गया था।

2.2.4 डाटाबेस का सृजन एवं लेखों का रख रखाव

टी0एफ0सी0 की अनुशंसानुसार शहरी स्थानीय निकायों की सम्पत्तियों, उनके द्वारा सृजित राजस्व एवं आधारभूत नागरिक सुविधाओं एवं विकासमूलक कार्यो हेतु आवश्यक निधियों के व्यय का मूल्यांकन तथा आधुनिक तकनीकी एवं प्रबंधन प्रणाली के प्रयोग से लेखों के रख–रखाव एवं शहरी क्षेत्रों में भू–सम्पत्तियों के मानचित्रण हेतु प्रबंधन प्रणाली, भौगोलिक

सूचना प्रणाली एवं वित्तीय प्रबंधन को आधुनिक प्रणाली में परिवर्तित करने हेतु कम्प्यूटराइजेशन के साथ शहरी स्थानीय निकायों के निधियों के डाटाबेस के सृजन को उच्च प्राथमिकता दी जानी थी। 32 शहरी स्थानीय निकायों के नमूना जॉच में पाया गया कि रु0 1.78 करोड़ (प्राप्त अनुदान में से 2 प्रतिशत कम्प्यूटराइजेशन हेतु चिहिन्त था) में से रु0 0.75 लाख कम्प्यूटरों के खरीद पर व्यय किया गया परन्तु न तो डाटाबेस तैयार किया गया और न ही लेखे कम्प्यूटर पर बनाए गए थे। उनके पास रु0 1.03 करोड़ की अवशेष धनराशि अप्रयुक्त पड़ी रही।

2.2.5 अनुश्रवण

उच्च स्तरीय समिति (एच0एल0सी0) को प्रत्येक मद के कार्य के संदर्भ में समयबद्ध भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण करने एवं तद्नुसार प्रत्येक वर्ष की उपलब्धि पर नजर रखने की आवश्यकता थी। नगर निगम के संदर्भ में मण्डलायुक्त तथा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के संदर्भ में जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय को भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रेषित किया जाना था जो प्रगति रिपोर्ट समेकित करने तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी था। अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि स्थानीय निकायों ने निदेशालय को भौतिक उपलब्धि की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया। इसका न तो राज्य स्तर पर अनुश्रवण किया गया, न ही भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया।

2.2.6 निष्कर्ष

राज्य सरकार द्वारा समय से अनुदान के अवमुक्त होने तथा उसके उपभोग का अवलोकन हेतु कोई प्रभावी तंत्र विकसित नहीं किया गया । निधियों की उपलब्धता के बावजूद दो वर्षो के व्यतीत होने पर भी कम्प्यूटराइजेशन एवं डाटाबेस का सृजन नहीं किया गया । शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नियमित रुप से म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट का एकत्रीकरण नहीं किया गया था एवं म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट के एकत्रीकरण के बाद उसके पृथक्करण हेतु कोई प्रणाली नहीं थी। अपशिष्ट प्रक्रमण की सुविधा एवं लैंडफिल साइटों के अस्तित्व में न होने के परिणामस्वरुप नमूना जॉच किए गये सभी शहरी स्थानीय निकायों में खुले में क्षेपण किया जा रहा था। प्रभावी अनुश्रवण के अभाव में म्यूनिसीपल ठोस अपशिष्ट नियमों के उल्लघंन के कारणों का पता नहीं लगा एवं फलतः पर्यावरण दूषित एवं मानव स्वास्थ्य जोखिम में था।

2.2.7 संस्तुतियॉ

- शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय डाटा बेस का सृजन जिसमें उनकी सम्पत्तियों, राजस्व सृजन तथा व्यय हेतु मूलभूत जनसुविधाओं तथा विकास के कार्यो के लिये व्यय हेतु निधियों की आवश्यकताओं का आकलन किया जाना चाहिए।
- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट प्रक्रमण सुविधाओं को व्यवस्थित करने हेतु समयबद्ध योजना बनाई जानी चाहिए।